नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

एक नजर में

मां के संग पानी में मस्ती करते दिखे 4 शावक

उमरिया. जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो खितोली जोन क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक बाघिन अपने चार नन्हे शावकों के साथ पानी में खेलती और उन्हें सिखाती नजर आई. गर्मी के इस मौसम में जहां जंगल के अधिकांश हिस्सों में पानी की कमी हो जाती है.

बालाघाट में फर्जी सिम रैकेट का भंडाफोड़

बालाघाट. पुलिस ने बड़े साइबर फर्जीवाड़े का खुलासा किया है, जिसमें एक ही व्यक्ति के चेहरे की फोटो से 105 मोबाइल सिम कार्ड जारी किए गए. मामला पुलिस थाना कोतवाली बालाघाट में दर्ज अपराध क्र.184/2026 से जुड़ा है. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फोटो एडिट कर फर्जी आधार और वोटर आईडी बनाई और इसके जरिए अलग-अलग नामों से सिम कार्ड लिए. सायबर सेल प्रभारी कमलेश यादव की जांच में पीओएस एजेंटों की मिलीभगत भी उजागर हुई.

दतिया में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 की मौत

दतिया. जिले में भिण्ड-भांडेर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा भांडेर थाना क्षेत्र के तिगरा खिरिया गांव के पास हुआ. छाछपुरा निवासी संजू दौहरे और अमित परिहार भांडेर से घरेलू सामान खरीदकर अपने गांव लौट रहे थे. उनके साथ हरिमोहन दौहरे भी बाइक पर सवार था. इसी दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती दोषी, जेल भेजा

एफडी ब्याज घोटाला का मामला

ग्वालियर, 01 अप्रैल. दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने दतिया के कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को एक 25 साल पुराने बैंक के एफडी ब्याज घोटाले में दोषी माना हैं. आज इसी क्रम में सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक राजेन्द्र भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. मामले की सजा संभवत: कल सुनाई जायेगी.

जानकारी के मुताबिक यह मामला लगभग 25 साल पूर्व का भूमि विकास बैंक से जुड़ा है, जिसमे विधायक राजेन्द्र भारती ने अपनी मां के नाम 10.50 लाख रूपये की एफडी कराई थी, जिस पर 13.50 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा था. विधायक राजेन्द्र भारती पर आरोप था कि उन्होंने तीन साल की एफडी को ज्यादा ब्याज के लालच में बैंक अध्यक्ष रहते हुये 2001 में फिर दस्तावेजों में गड़बड़ कर फिर अवधि बढ़वा दी, ताकि ब्याज ज्यादा मिलता रहा. 2003 में बैंक प्रबंधन को इस गड़बड़ की जानकारी लगी तो इसकी जांच कराई गई जिसमें विधायक राजेन्द्र भारती व उनकी मां को दोषी पाया गया. बाद में यह मामला उपभोक्ता फोरम से लेकर दतिया की कोर्ट में पहुंचा तो विधायक राजेन्द्र भारती ने निष्पक्ष सुनवाई के लिये मप्र से बाहर मामला सुनवाई की अपील की. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा.

जहां एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें धोखाधड़ी का दोषी माना है. हालांकि अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन राजेन्द्र भारती को आज दिल्ली में हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. बताया जाता है कि इस मामले में बैंक कर्मचारी नरेन्द्र सिंह ने दतिया कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको कोर्ट ने गंभीरता से लेकर इसे धोखाधड़ी का मामला मानकर केस दर्ज करने के आदेश दिये थे. राजेन्द्र भारती पर बैंक के दस्तावेजी साक्ष्य के बाद जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश आईपीसी 420, 667, 467, 471, 409, 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था.

गृहमंत्री को हराकर विधायक बने थे

कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती गत विधानसभा चुनाव में प्रदेश के गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा को हराकर विधायक बने थे. गृहमंत्री को हराने के कारण वह प्रदेश और देश में सुर्खियों में आ गये थे. उन्होंने गृहमंत्री डा. मिश्रा को 7742 मतों से पराजित किया था.

शॉर्ट एनकाउंटर में हत्यारा आसिफ गिरफ्तार

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 01 अप्रैल. अशोका गार्डन थाना पुलिस ने बुधवार को शॉर्ट एनकाउंटर करते हुए होटल संचालक के हत्यारे आसिफ उर्फ बम को गिरफ्तार कर लिया. रातीबड़ थाना इलाके से घायल अवस्था में आसिफ को हमीदिया अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है.

आसिफ पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर सैकडों की संख्या में लोग सीएम हाउस का घेराव करने भी पहुंचे. पुलिस ने इससे पहले लोगों को रोका और कार्रवाई का आश्वासन दिया.

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के अनुसार आरोपी आसिफ की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी थी. इस दौरान उसके रातीबड़ इलाके में होने की सूचना पुलिस को मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपी आसिफ ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी. इस दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए शार्ट एनकाउंटर किया. आसिफ के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा. आरोपी आसिफ को इलाज के लिए अशोका गार्डन थाना पुलिस मौके पर हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे भर्ती कराया गया. आसिफ के पास से पुलिस ने मौके पर एक पिस्टल भी जब्त कर ली है.

आसिफ और उसके दो साथियों पर 31 वर्षीय होटल संचालक विजय मेवाड़ा की हत्या करने का आरोप है. इस हत्याकांड में आसिफ मुख्य आरोपी के तौर पर हत्या में शामिल था. आसिफ के खिलाफ पूर्व के कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं. पुलिस इससे पहले विजय की हत्या के मामले में आसिफ के दो आरोपी साथियों आरोपी फरमान उर्फ आरिस और मो. इमरान उर्फ ब्रावो को घटना के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया था. वारदात को अंजाम देने के बाद आसिफ लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था.

सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे लोग

घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के सामने आसिफ की फरारी चुनौती बनी हुई थी. पुलिस लगातार तकनीकी सहायता लेते हुए उसकी लोकेशन ट्रेस की और रातीबड़ इलाके में उस तक पहुंची. इधर आसिफ की गिरफ्तारी से पहले बुधवार को विजय मेवाड़ा का श्रद्धांजलि दी गई. सुबह के करीब 11 से 1 बजे तक हत्यारों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सकल हिंदू समाज की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में लोग सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे.

कंबाइन हार्वेस्टरों को टोल प्लाजा में मिलेगी छूट

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 अप्रैल. प्रदेश में अब कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने वाले कंबाइन हार्वेस्टरों को मप्र सड़क विकास निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क संग्रहण से छूट रहेगी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए हैं. बैठक समत्व भवन में हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फसल कटाई में प्रयुक्त होने वाला कंबाइन हार्वेस्टर आवश्यक कृषि उपकरण है. टोल मार्गों पर टोल छूट दिए जाने से हार्वेस्टर की परिवहन लागत में कमी आएगी. जिसका सकारात्मक प्रभाव कृषि उपज के मूल्य पर होगा, यह निर्णय कृषकों के लिए हितकर सिद्ध होगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई संचालक मंडल की बैठक में इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग और उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड मार्ग के नॉन एक्सेस कंट्रोल परियोजना के रूप में निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया गया. संचालक मंडल ने पश्चिम भोपाल बायपास के परिवर्तित एलाइनमेंट को अनुमोदन प्रदान कर निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की. बैठक में वार्षिक लेखों तथा अन्य प्रबंधकीय विषयों पर विचार-विमर्श हुआ तथा निर्णय लिए गए.

सीमांकन मामले में पटवारी को बनाया आरोपी

हाईकोर्ट ने निरस्त की एफआईआर

जबलपुर, 1 अप्रैल. महिला पटवारी ने नियुक्ति से तीन साल पूर्व हुए सीमांकन में मामले में आरोपी बनाए जाने को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गयी थी. हाईकोर्ट जस्टिस बी पी षर्मा एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि नियुक्ति के के तीन साल पूर्व हुई घटना में महिला पटवारी को आरोपी बनाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. एकलपीठ ने महिला पटवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के आदेश जारी किये है.

याचिकाकर्ता कुमारी राजनंदिनी मिश्रा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसकी भाई की 2021 में हुई थी. इसके बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मार्च 2022 में उसे कटनी जिले के स्लीमनाबाद के ग्राम भेडा में पटवारी के पद पर नियुक्ति किया गया था.

उसी गांव में नरेंद्र जैन के नाम पर जमीन थी, जिनकी साल 2016 में मौत हो गयी थी. उनकी मौत होने के बाद उक्त जमीन उसके वारिसो के नाम पर दर्ज हो गयी थी. इसके बाद एक प्राइवेट व्यक्ति ने सीमांकन का आवेदन पर राजस्व विभाग में दिया गया था. राजस्व विभाग के द्वारा नरेंद्र जैन के नाम पर नोटिस जारी किया गया था. प्रकरण की सुनवाई के बाद नरेन्द्र जैन की अनुपस्थिति में उन्हें अवैध कब्जाधारी घोषित कर दिया. जिसके खिलाफ उनके वारिसों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी.

जलाशयों का सीमांकन कर तत्काल हटायें अतिक्रमण

टीकमगढ़ के वेटलैंड्स के मामले में पूर्व निर्देशों का पालन नहीं होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी ने अपने कर्तव्यों में पूरी तरह विफल रहे हैं. एनजीटी की केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ भोपाल ने निर्देश दिए कि जलाशयों का सीमांकन करवाकर तत्काल अतिक्रमण हटाए जाएं. अधिकरण ने इस मामले में विशेष टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश भी दिए. मामले की अगली सुनवाई 11 मई 2026 को होगी.

बीपीसीएल के लॉयल्टी एप से 5 .72 करोड़ की ठगी

- बिना बैंक डेबिट किए वॉलेट में जोड़ी रकम
- फर्जी फ्लिट अकाउंट से खेल हुआ उजागर

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में कॉर्पोरेट स्तर की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के लॉयल्टी एप में हेरफेर कर आरोपियों ने बिना बैंक खाते से राशि डेबिट कराए ही करोड़ों रुपए वॉलेट में जोड़ लिए और उनका उपयोग कर कंपनी को करीब 5.72 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया.

क्षिप्रा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 44 वर्षीय फरियादी विक्रांत हाटे की शिकायत पर विशाल सिंह, शशि सिंह, दलवीर सिंह, बलजिंदर सिंह, वाहिद खान, नरेंद्र सिंह बासु और बलबीर सिंह सात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया. मामला एबी रोड मांगलिया स्थित बीपीसीएल से जुड़ा है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने बीपीसीएल के लॉयल्टी एप में फर्जी तरीके से फ्लिट अकाउंट तैयार किए. इसके बाद स्मार्ट फ्लिट वॉलेट में बिना किसी वास्तविक बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ही रकम रिचार्ज दिखाकर जोड़ ली, यानी खातों से पैसा कटे बिना ही वॉलेट में बैलेंस बढ़ा दिया.

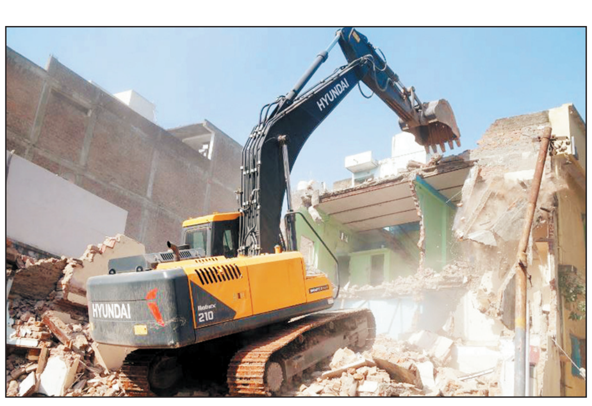

उज्जैन बन रहा स्मार्ट, सिटी में हो रहा चौड़ीकरण

उज्जैन, 1 अप्रैल. सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत शहर में सड़क चौड़ीकरण के कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है. इसी कड़ी में महाकाल मंदिर क्षेत्र के भारत माता पार्किंग से बेगम बाग घाटी तक बनने वाले मार्ग के लिए नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. इस दौरान मार्ग में आ रहे भवनों को जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से हटाया गया.

स्मार्ट सिटी योजना के तहत बेगमबाग मार्ग से भारत माता पार्किंग तक करीब 150 मीटर लंबाई में 15 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया जाएगा. इस मार्ग में कुल 14 भवन आ रहे थे, जिनमें से 12 भवन आपसी सहमति के बाद हटाए गए. इनमें से 8 मकान मालिकों को मुआवजा भी दिया गया है. कई लोगों ने विकास कार्यों को देखते हुए स्वेच्छा से अपने मकान तोड़ दिए. नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का अवलोकन किया और बेगम बाग वाली घाटी को अहिल्याबाई मार्ग नाम दिया है. इस सड़क को महत्वपूर्ण बताया. इस दौरान अपर आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा, अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता, तहसीलदार शेफाली जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देशमुख सहित स्मार्ट सिटी, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे.

इधर, नीलगंगा थाना क्षेत्र में नंदी चौराहे से हनुमान नाका मार्ग तक भी चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यह मार्ग आगे हरी फाटक सिक्स लेन से जुड़ेगा, जिससे फ्रीगंज क्षेत्र से सिंहस्थ क्षेत्र तक आवागमन निर्बाध हो सकेगा. वर्तमान में यह मार्ग संकरा होने के कारण यहां अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है.

हटाए गए आशियाने

चौड़ीकरण की इस कार्रवाई में कई रहवासियों ने विकास को प्राथमिकता देते हुए अपने आशियाने स्वयं हटाए. लोगों का कहना है कि अभी थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन भविष्य में चौड़ी और व्यवस्थित सड़कों से शहर को बड़ा लाभ मिलेगा.

35 लाख ठगी मामले में महिला गिरफ्तार

इंदौर, 1 अप्रैल. फ्लैट विक्रय और रजिस्ट्री के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह की तीसरी सदस्य को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. आरोपिया सायरा जबकि इस मामले में पहले ही दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं.

क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, पहले दो आरोपी पकड़े जा चुके

कई और मामलों का खुलासा संभव

क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक फरियादी फैसल अहमद की शिकायत पर केस दर्ज किया था. जांच में सामने आया कि आरोपी मोहित महाजन, निसार अली और सायरा ने मिलकर साजिश के तहत फ्लैट बेचने का सौदा करीब 35 लाख रुपए में तय किया. आरोपियों ने नगद और ऑनलाइन माध्यम से पूरी रकम वसूल ली और रजिस्ट्री कराने का झांसा देते रहे. पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए उसी फ्लैट की रजिस्ट्री फरियादी के नाम करने के बजाय सह आरोपी मोहित महाजन की भाभी के नाम करीब 17 लाख रुपए में कर दी. इस तरह एक ही फ्लैट दो अलग अलग लोगों को बेचकर आरोपियों ने अवैध लाभ कमाया. इस मामले में पहले ही मोहित महाजन (निवासी कनाडिया) और निसार अली को गिरफ्तार किया जा चुका है. अब तीसरी आरोपी सायरा, जो 10वीं तक पढ़ी है और पति के काम में सहयोग करती थी, को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है, संभवत: शाम तक पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है. पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगी. हालांकि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी करना स्वीकार किया है. क्राइम ब्रांच अब ऐसे अन्य मामलों की पड़ताल कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है.

बॉलीवुड सितारों ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन

उज्जैन 1 अप्रैल. प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और फिल्म अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए. दर्शन के उपरांत श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के उप प्रशासक एसएन सोनी ने उनका स्वागत एवं सत्कार किया.

बाबूलाल बैरवा पर हमले के विरोध में श्योपुर रहा बंद

श्योपुर. सकल हिन्दू समाज के आह्वान पर श्योपुर में शहर बंद और प्रदर्शन किया गया. यह प्रदर्शन कलारना बस्ती में चाकूबाजी के विरोध में था. सुबह शहर में एक रैली निकाली गई. प्रदर्शनकारियों ने व्यापारियों से बाजार बंद रखने की अपील की, जिसके बाद बड़ी संख्या में दुकानें बंद हो गई. प्रदर्शनकारी हजारेश्वर पार्क में एकत्रित हुए और रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कोतवाली के सामने धरना दिया. उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सहित कई मांगों को उठाया. इसमें महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. धरने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट गगन मीणा को ज्ञापन सौंपा.

मांग | लखनादौन-रायपुर 6-लेन मार्ग निर्माण की स्वीकृति का आग्रह

सांसद भारती पारधी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से की भेंट

- भारती पारधी से केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात की
- यह मार्ग मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ता है

बालाघाट-सिवनी, 1 अप्रैल. लोकसभा क्षेत्र की सांसद भारती पारधी एवं राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर लखनादौन-बालाघाट-लांजी-खैरागढ़-रायपुर मार्ग को 6-लेन में विकसित करने की स्वीकृति देने का आग्रह किया.

सांसदों ने मंत्री को अवगत कराया कि यह मार्ग मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ता है और यातायात, व्यापार, पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. वर्तमान में मार्ग पर बढ़ते यातायात के कारण जाम, दुर्घटनाओं का खतरा और यात्रा समय में वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. सांसदों ने कहा कि 6-लेन मार्ग बनने से यातायात सुगम और सुरक्षित होगा, क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को बल मिलेगा.

साथ ही उन्होंने इस मार्ग की रणनीतिक महत्वता पर भी जोर दिया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सांसदों के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया. क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को स्वीकृति मिलकर निर्माण कार्य प्रारंभ होगा.

हाई कोर्ट में निर्मला सप्रे का दावा- कांग्रेस में होने की बात

- 9 अप्रैल को स्पीकर के सामने सिंघार रखेंगे पक्ष

जबलपुर, 01 अप्रैल. निर्मला सप्रे से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान नया मोड़ आया. सप्रे ने अदालत में कहा कि वे अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य हैं. यह सुनवाई उमंग सिंघार द्वारा दायर याचिका पर हुई, जिसमें सप्रे का निर्वाचन शून्य करने की मांग की गई है.

सिंघार का आरोप है कि सप्रे ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कथित रूप से पार्टी विरोधी गतिविधियां कीं और मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच साझा किया,

जो दलबदल कानून का उल्लंघन हो सकता है. याचिका में कहा गया है कि उन्होंने भाजपा का समर्थन किया, लेकिन विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया. हाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि 16 महीने बीतने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने इस याचिका पर फैसला क्यों नहीं लिया. इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि किसी भी याचिका पर निर्णय लेना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है.